336

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः   /XVI-1/15/5(47)/2015

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1   देहरादून :दिनांकः 15 दिसम्बरः 2015

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में ''ए'' एवं ''बी'' ग्रेड माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–474/एस0एन0डी0/2015–16 दि0 14 अक्टूबर, 2015 के कम में राज्य में उत्पादित होने वाली माल्टा फसल के ''ए'' एवं ''बी'' ग्रेड की फसलों के उत्पादकों को उनकी उपज का आपेक्षित मूल्य प्रदान किये जाने के उद्देश्य से, उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु राज्य में उत्पादित **''ए'' ग्रेड माल्टा फसल हेतु रु0 16000.00 प्रति मैट्रिक टन (रु0 16.00 प्रति किलो) एवं ''बी'' ग्रेड माल्टा फसल हेतु रु0 13000.00 प्रति मैट्रिक टन (रु0 13.00 प्रति किलो) की दर से** न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए कृषकों/फल उत्पादकों से क्रय/उपार्जन किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– ''ए'' ग्रेड एवं ''बी'' ग्रेड माल्टा की फसल की कुल अनुमानित मात्रा 1500 मै0टन अथवा वास्तविक मात्रा जो भी कम हो, का उपार्जन हेतु उपरोक्त घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार फलों के उपार्जन/क्रय का कार्य **जनपद–चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर** में स्थापित उद्यान विभाग के निर्धारित उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा। सम्बन्धित जनपदीय केन्द्रों पर जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा यथोचित विभागीय कार्मिकों की तैनाती तथा मूलभूत व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेंगी। दोनों मण्डलों के उपनिदेशक उद्यान अपने मण्डल में इस पूरे कार्यकम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

2– **उक्त माल्टा फलों का उपार्जन कार्य 15 दिसम्बर, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रभावी होगा।**

क्रमशः–2

222
२८

3– क्रय किये जाने वाले "ए" ग्रेड माल्टा फलों का न्यूनतम ब्यास 85 मि0मी0 तथा "बी" ग्रेड माल्टा फलों का न्यूनतम ब्यास 70 मि0मी0 का होना चाहिए। फल स्वस्थ, रोगरहित तथा पुनः बिक्री योग्य होने चाहिए। फल सड़े–गले एवं कटे–फटे नहीं होने चाहिए।

4– तुड़ाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन किया के परिणामस्वरूप वजन में होने वाली कमी के दृष्टिगत उपार्जन/क्रय के समय तौल में 2.5 प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा। उपर्जित फलों का परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित ढुलान दरों अथवा उससे कम दरों पर किया जाय।

5– उक्त उपार्जन एवं विपणन कार्य हेतु उपार्जन मूल्य का अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि क्रय हेतु आपेक्षित सुविधाओं के सृजन बारदाना, परिवहन एवं अन्य व्यय हेतु वास्तविक स्थितियों के अनुसार व्यय अनुमन्य किया जाय। समस्त व्ययों में मितव्ययता का विशेष अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– माल्टा फलों के उपार्जन एवं विपणन का कार्य उद्यान विभाग के सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारी एवं विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद के सहयोग से किया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्यान अधिकारी इस सम्पूर्ण कार्य हेतु नोडल अधिकारी होंगे तथा मण्डलीय उपनिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के मार्गदर्शन में उपार्जित फलों का विपणन सुनिश्चित करेंगे। योजनान्तर्गत फलों का क्रय/उपार्जन केवल उद्यान कार्डधारक उद्यानपतियों हेतु प्रभावी होगा। ठेकेदार एवं बिचौलिए इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

7– माल्टा फलों के उत्पादकों को उपरोक्त घोषित समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में वे अपनी फसल का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

8– सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी जनपद में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने पदनाम से खाता खोलकर बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई.एफ.सी.कोड की सूचना निदेशालय एवं विपणन परिषद को यथासमय उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि आंकलनोपरान्त उनकी मांगानुसार उतनी धनराशि फलों के उपार्जन कार्य हेतु उन्हें उपलब्ध कराई जा सके।

9– फलों के उपार्जन पर होने वाला व्यय शासन द्वारा परिषद को उपलब्ध कराई गई चक्रीय निधि से वहन किया जायेगा तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि चक्रीय निधि में ही जमा की जायेगी।

10– उद्यान विभाग द्वारा उपार्जित "ए" एवं "बी" ग्रेड माल्टा फसल को भण्डारणोपरान्त अथवा ताजे उपार्जित फलों को राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर की मण्डियों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाईयों को विक्रय किया जायेगा। यदि समर्थन मूल्य या इससे अधिक मूल्य स्थानीय बाजारों में प्राप्त होता है तो, इसे

क्रमशः–3

नीलामी द्वारा प्रथम प्राथमिकता पर विक्रय किया जायेगा। यदि राज्य की कोई सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाई /इकाईयां उक्त उपार्जित फ़सल के क्रय हेतु सहमत हों तो, उन्हें प्रथम प्राथमिकता पर फलों का विक्रय किया जायेगा। सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा फलों के विक्रय से प्राप्त आय को विपणन परिषद की चक्रीय निधि में तत्काल जमा किया जायेगा एवं सम्पूर्ण भुगतान प्रकिया एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा।

11— **योजना के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। यदि कहीं भी फसल बिना समुचित देखभाल के खराब होती है, तो संबधित अधिकारियों से तद्नुसार वसूली की जाएगी।**

12— उक्त आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आ0श0 संख्या—110(P)/XXVII-4/15 दिनांक 14.12.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः—1761 **XVI-1/15/5(47)/2015/तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1— **जिलाधिकारी,** जनपद—अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी।

2— **आयुक्त,** गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।

3— **महालेखाकार उत्तराखण्ड,** ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

4— **निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,** सचिवालय परिसर, देहरादून।

5— **वित्त अनुभाग—4,** उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

6— **उप निदेशक,** उद्यान विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांयू मण्डल, नैनीताल।

7— **जिला उद्यान अधिकारी,** जनपद—अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी।

8— **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**, उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद, देहरादून।

9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।